मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, नाथद्वारा (राजस्थान)

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा)

पीठासीन अधिकारी : पुरूषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

मोटर दुर्घटना दावा संख्या : 44/2019
(CIS No. 44/2019)
(CNR No. RJRS060002712019)

1. रामनिवास पिता रामजस उम्र 43 साल – मृतक का पिता
2. डिम्पल पत्नी रामनिवास उम्र 40 साल – मृतक की माता
3. सुश्री प्राची पुत्री रामनिवास उम्र 13 साल जरिये संरक्षक पिता रामनिवास – मृतक की बहिन
4. लीलादेवी पत्नी स्व. रामजस उम्र 65 वर्ष – मृतक की दादी
   सभी निवासी सिंधी कॉलोनी, नाथद्वारा जिला राजसमन्द

——प्रार्थीगण

वि रू द्ध

1. राजेश पिता मांगीलाल पानेरी, उम्र 42 साल निवासी पानेरियों की मादड़ी, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द ——वाहन चालक
2. अंकुर एजुकेशन सोसायटी जरिये डायरेक्टर विपुल कौशिक निवासी विट्ठलनाथ मार्ग, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द ——पंजिकृत वाहन मालिक
3. Tata AIG General Insurance Company Ltd. Peninsula Business Park, Tower A, 15th Floor Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel Mumbai - 400013 Maharashtra डिविजनल ऑफिस 28, हजारेश्वर कॉलोनी, अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज, कोर्ट रोड़, उदयपुर 313001 ——बीमा आगोपक

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री कमलेश अजमेरा – विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अर्पित पालीवाल – विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री राकेश कुमार पालीवाल – विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
3. श्री सुरेशचन्द टीलावत – विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

अधिनिर्णय

दिनांक : 28.03.2026

1. यह क्लेम प्रार्थना पत्र मृतक प्रणय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिकर प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर विपक्षीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के तहत क्षतिपूर्ति राशि

22,62,000/–रूपये प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.05.2019 को इस अधिकरण में प्रस्तुत किया था।

2. संक्षेप में हस्तगत क्लेम याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.03.2019 को दिन के 12.45 बजे प्रणय परीक्षा देकर घर के लिए बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 से उतरा था। उक्त बस के चालक विपक्षी संख्या 1 ने उक्त बस को तेजगति गफलत लापरवाही पूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक का सिर बस के पीछे के टायर के नीचे आ जाने से उसका सिर फट गया और उसके गंभीर प्रकृति की चोटें आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी..... आदि। इस दुर्घटना की कार्यवाही पुलिस थाना नाथद्वारा में की जिस पर प्रकरण संख्या 117/2019 पंजीबद्ध किया गया। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक विपक्षी संख्या–1 व मालिक विपक्षी संख्या–2 थे एवं वाहन विपक्षी संख्या–3 के यहां बीमित था, इसलिये विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिकर हेतु उत्तरदायी हैं। प्रार्थी ने 22,62,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3. विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही करना जाहिर करने पर दिनांक 10.09.2021 को विपक्षी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया।

4. विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर क्लेम आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया और कथन किया कि मृतक दुर्घटना के दिन परीक्षा समाप्त हो जाने से खुश था और उत्तेजनावश मृतक बस की गति घटनास्थल पर धीमी होने पर बहिन के द्वारा रोकने व चालक के द्वारा हिदायत देने के बावजूद भी घर जाने की जल्दी में कुद गया। घटना स्थल पर अत्यधिक ढलान होने से चालक द्वारा बस को समतल में लेकर सही ढंग से खड़ी करने से पहले ही कूद जाने से उक्त दुर्घटना कारित हुई इसलिए विपक्षी संख्या 2 जिम्मेदार नहीं है। उक्त बस में वक्त दुर्घटना बालवाहिनी नियमानुसार नियमित रूप से परिचालक की सुविधा था। वाहन स्वामी ने अपने दायित्व को समझते हुए दुरस्थ स्थान पर होते हुए भी विद्यालय स्टाफ द्वारा स्कूल बस में बच्चों के साथ अतिरिक्त व्यवस्था करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जिससे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्षी संख्या 1 की उक्त दुर्घटना में कोई लापरवाही एवं गलती नहीं रही फिर भी प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र समझा जाता है तो वक्त घटना विपक्षी संख्या 2 का वाहन विपक्षी संख्या 3 के यहां बीमित था जिसके लिये

विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी जिम्मेदार है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

5. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर क्लेम आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया और कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित नहीं की गयी। उक्त चालक के पास में वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। विपक्षी बीमा कम्पनी की कोई देयता नहीं बनती है।

6. अपने विशेष कथन में अभिकथन किया कि विपक्षी बीमा कम्पनी से प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी की आवश्यक एवं मुख्य शर्त यह है कि बीमाकृत वाहन के किसी प्रकार दुर्घटना में लिप्त होने पर तुरन्त ही वाहन स्वामी बीमा कम्पनी को कथित दुर्घटना से अवगत करायेगा और वाहन स्वामी निर्धारित क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे विपक्षी बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का दायित्व नहीं बनता है। उक्त दुर्घटना संबंधी वाहन चालक के पास विधि के प्रावधानों के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, परमिट इत्यादि नहीं थे जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी की कोई देयता नहीं बनती है। अंत में क्लेम आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये :–

(1) आया दिनांक 16.03.2019 को समय करीब 12.45 पीएम पर पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र नाथद्वारा में नई हवेली स्कूल के पास लोकमार्ग पर विपक्षी संख्या 1 ने वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक प्रणय बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक प्रणय के सिर व अन्य जगह साधारण व गंभीर उपहतियां कारित होने से उसकी मृत्यु हो गयी?

——प्रार्थीगण

(2) आया विपक्षी सं. 3 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव के आपत्तियों में वर्णित अनुसार वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 द्वारा बीमा पॉलिसी की

शर्तो का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ? ——बीमा कंपनी विपक्षी संख्या 03

(3) आया प्रार्थीगण याचिका में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी हैं? —— प्रार्थीगण

(4) अनुतोष?

8. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू–1 रामनिवास को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 11 तक के दस्तावेजात् को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

9. विपक्षी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन.ए.डब्ल्यू–1 युवराज पाल को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए1 से प्रदर्श ए3 तक के दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

10. पक्षकारान के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा यह तर्क रखा गया है कि घटना दिनांक 16.03.2019 की है, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन दर्ज करवा दी थी। साक्षीगण द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण के तथ्यों को साबित किया गया है। अनुसंधान के कम में प्रदर्शित दस्तावेजों से प्रकरण की सम्पूरक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। चिकित्सकीय परिपत्रों से दुर्घटना की गम्भीरता पत्रावली पर साबित हो रही है। वक्त दुर्घटना मृतक नाबालिग होकर 13 साल का था। मृतक की उक्त सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को उससे होने वाली आमदनी की पूरी–पूरी क्षति हुई है। दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 को तेजगति, लापरवाही पूर्वक एवं गलत ढंग से चलाकर कारित की गई है। बाद अनुसंधान पुलिस ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। अतः क्लेम याचिका में मांगे गये अनुतोष अनुसार प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को दिलवाई जावें। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2022(2) DNJ (Raj.) 793 Mamta (Smt.) & Anr. v Mahendra Singh & ors. का हवाला दिया गया।

12. विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में दुर्घटना के तथ्यों की सम्पूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर

साबित नहीं हो रही हैं। इस दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है बल्कि मृतक स्वयं की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुई है। प्रार्थीगण ने पुलिस से मिलीभगत कर मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को झुठा फंसाया है। अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका खारिज की जावें।

13. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में दुर्घटना के तथ्यों की सम्पूर्ण एवं विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर साबित नहीं हो रही हैं। इस दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही है बल्कि मृतक की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित हुई है। वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन चालक के पास वाहन चालन का वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। आयु के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है जिसका कोई कारण प्रार्थीगण ने अपनी क्लेम याचिका में दर्शित नहीं किया है। वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त वाहन को बिना परमिट के चलाया जा रहा था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है जिससे क्षतिपूर्ति की अदायगी का कोई दायित्व विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी का नहीं रहता है। प्रार्थीगण के द्वारा किसी भी चश्मदीद साक्षी को पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत वाहन चालक की गलती से दुर्घटना नहीं हुई है। अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका खारिज की जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया गया :–

(1) 2005 RAR (SC) 1
National Insurance Co. Ltd. v Challa Bharathamma & ors

(2) S.B. Civil Misc. Appeal No.461/2012 National Insurance Co. Ltd. v Smt. Pushpa Devi & ors., Rajasthan High Court, Judgment date 10.09.2012

(3) SBCM Appeal No.3312/2017 Mukesh Kumar v Rahmani ors., Rajasthan High Court, Judgment dated 12.07.2018

(4) S.B. Civil Misc. Appeal No.2610/2013, Manju Devi & anr. v Shankar Singh & ors., Rajasthan High Court, Judgment date 07.02.2014

14. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में विवाद्यकों के आधार पर इस अधिकरण का विनिश्चय निम्नांकित प्रकार से है–

<u>विवाद्यक संख्या–1</u> :–

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि क्या दिनांक 16.03.2019 को समय करीब 12.45 पीएम पर पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र नाथद्वारा में नई हवेली स्कूल के पास लोकमार्ग पर विपक्षी संख्या 1 ने वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक प्रणय बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक प्रणय के सिर व अन्य जगह साधारण व गंभीर उपहतियां कारित होने से उसकी मृत्यु हो गयी?

16. इस विवाद्यक के संबंध में स्वयं आहत प्रार्थी ए.ड.1 रामनिवास ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किया है कि दिनांक 16.03.2019 को करीब पौने एक बजे उसका पुत्र प्रणय परीक्षा देकर बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 से घर आ रहा था। नई हवेली चौक बस स्टॉप पर उसका पुत्र गाड़ी से उतर रहा था कि बस चालक के द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक बस को पीछे ले लिया जिससे उसका पुत्र बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया तथा उसका सिर टायर के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई। दुर्घटना के संबंध में पुलिस दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–11 है।

17. प्रति परीक्षण के दौरान गवाह ए.ड.1 रामनिवास ने कहा है कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना बस चालक की गलती से नहीं हुई हो तथा यह भी कहना गलत है कि बच्चा बस रूकने के पहले ही बस सेउतर गया हो जिस कारण उक्त दुर्घटना हुई हो। वक्त मौके पर वह उपस्थित नहीं था इसलिए उसने बस को नहीं देखा था। उसके एक लड़का है जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। यह कहना सही है कि स्कूल वाले बस का परिवहन चार्ज लेते थे। यह कहना गलत है कि स्कूल वाले ने उसके बच्चे का कोई बीमा किया हुआ हो व उससे उन्हें पैसे मिल हो।

18. प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई साक्ष्य में गवाह ए.ड.1 रामनिवास ने अपनी साक्ष्य में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है। गवाह से विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण किया गया लेकिन गवाह की जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकें।

19. प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1, आरोप पत्र प्रदर्श–2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–3, नक्शा मौका प्रदर्श–4, फर्द जब्ती बस प्रदर्श–5, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श–6, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श–7, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–8 है जिससे प्रार्थीग्ण्ज्ञ की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है। प्रश्नगत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श–9 के अवलोकन से भी वाहन विपक्षी संख्या 2 के नाम पंजीकृत होना व बीमा कवर नोट प्रदर्श–11 के अनुसार वाहन विपक्षी संख्या 3 के यहां पर बीमित होना प्रमाणित होता है। वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 को इस दुर्घटना के लिये दोषी मानते हुये उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–2 धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 में पेश किया गया है। उक्त साक्ष्य का खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं हुआ है। अतः इस तथ्य से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई हो।

20. जहां तक उक्त वाहन को विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर उसके हितार्थ चलाने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर उक्त प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–9 पत्रावली पर मौजूद है जिसमें विपक्षी संख्या 2 को उक्त प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी बताया गया है। इसके अलावा धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–6 के जवाब में वाहन मालिक ने दुर्घटना के वक्त अपने उक्त वाहन को विपक्षी संख्या 1 के द्वारा चलाना बताया है। धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–7 के जवाब में विपक्षी संख्या 1 ने वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को स्वयं द्वारा चलाना बताया है जिसका कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थीगण इस बात को प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में होकर उसके हितार्थ व लाभार्थ वक्त दुर्घटना उक्त वाहन को चला रहा था।

21. जहां तक विपक्षी बीमा कम्पनी के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतक स्वयं की गलती से उक्त दुर्घटना घटित हुई है तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि दुर्घटना में

मृतक स्वयं की गलती रही हो। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विपक्षीगण का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

20. उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचनानुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 16.03.2019 को समय करीब 12.45 पीएम पर पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र नाथद्वारा में नई हवेली स्कूल के पास लोकमार्ग पर विपक्षी संख्या 1 ने वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक प्रणय बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक प्रणय के सिर व अन्य जगह साधारण व गंभीर उपहतियां कारित होने से उसकी मृत्यु हो गयी।

23. अतः विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या 2**</u> :—

24. इस विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी पर है जिसके तहत विपक्षी संख्या 03 को यह साबित करना है कि क्या विपक्षी सं. 3 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव के आपत्तियों में वर्णित अनुसार वाहन स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ?

25. जहां तक विपक्षी बीमा कम्पनी का उक्त तर्क कि प्रार्थी द्वारा घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है, का संबंध है तो प्रार्थी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना दिनांक 16.03.2019 को दोपहर करीब 12.45 पीएम की है। घटना की रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 16.03.2019 को दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

26. जहां तक विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति कि वक्त दुर्घटना वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 के पास प्रश्नगत वाहन को गतिमान करने का वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रदर्श–10 विपक्षी संख्या 1 का ड्राईविंग लाईसेंस है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति भी माने जाने योग्य नहीं है।

27. जहां तक विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति की दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए.

0658 का परमिट नहीं था। इस संबंध में विपक्षी साक्षी एन.ए.ड.1 युवराज पाल ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि प्रश्नगत वाहन का बीमा उनकी कम्पनी के द्वारा दिनांक 26.10.2018 से 25.10.2019 की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी में वर्णित शर्तों के प्रावधानों के तहत किया था जिसकी बीमा पॉलिसी प्रदर्श ए1 है। वाहन स्वामी के द्वारा प्रश्नगत वाहन को आरटीओ से बिना परमिट प्राप्त किये सार्वजनिक स्थान परचलायमान किया जा रहा था। इस संबंध में वाहन स्वामी को नोटिस प्रदर्श ए2 दिया जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श ए3 है। वाहन स्वामी की ओर से कोई परमिट अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी की ओर से प्रश्नगत वाहन का कोई परमिट पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में अधिकरण द्वारा विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी को प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 का परमिट न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु आदेशित भी किया गया परन्तु उसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी के द्वारा प्रश्नगत वाहन का कोई परमिट नहीं पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में यह साबित है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन का परमिट नहीं था। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति कि वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी के पास प्रश्नगत वाहन बस का परमिट नहीं था, प्रमाणित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों में विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी से उन्मुक्त होने की अधिकारी है परन्तु प्रश्नगत वाहन का बीमित होना प्रदर्श–11 से प्रमाणित है इसलिये प्रार्थीगण को बीमा कम्पनी व विपक्षी संख्या 2 के मध्य शर्तों के उल्लंघन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विपक्षी साक्षी एन.ए.ड.1 युवराज पाल ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारव किया है कि उनकी कम्पनी के द्वारा वक्त दुर्घटना तृतीय पक्षकार की जोखिम धारण की गयी थी। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531** के अनुसार बीमा कम्पनी प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति अदा कर विपक्षी संख्या 1 व 2 से यह राशि वसूल करने का अधिकार रखा था।

28. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 2 उक्त अनुसार विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के पक्ष में निश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u> :—

29. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पर है, जिसमें प्रार्थीगण पक्ष को यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या प्रार्थी याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी है?

30. चूंकि विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन से यह तथ्य साबित हो चुका है कि दिनांक 16.03.2019 को समय करीब 12.45 पीएम पर पुलिस थाना नाथद्वारा के क्षेत्र नाथद्वारा में नई हवेली स्कूल के पास लोकमार्ग पर विपक्षी संख्या 1 ने वाहन बस संख्या आर.जे.30 पी.ए. 0658 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक पीछे लिया जिससे मृतक प्रणय बस के पीछे के टायर के नीचे आ गया और उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक प्रणय के सिर व अन्य जगह साधारण व गंभीर उपहतियां कारित होने से उसकी मृत्यु हो गयी। अब इस विवाद्यक के विनिश्चिय हेतु हमें यह देखना है कि प्रार्थीगण कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस संबंध में प्रार्थी रामनिवास ए.डब्ल्यू–1 का यह सशपथ कथन है कि वक्त दुर्घटना उसका पुत्र कक्षा सात में पढ़ाई करता था। उसका पुत्र पढ़ाई में होशियार था तथा भविष्य में अच्छी पढ़ाई कर वह अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करता तथा उनके बुढापे में सहारा बनता तथा भरण पोषण करता। उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो जाने से उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। उसके पुत्र के सामाजिक रीति रिवाज में करीब 50 हजार रुपये का खर्चा हुआ। उसके पुत्र की मृत्यु से उन्हें भारी शारीरिक व मानसिक पीड़ा हुई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह कथन किया कि दुर्घटना के समय उसका बच्चा कक्षा सात में पढ़ता था तथा उसकी उम्र 12 साल थी। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यह कथन किया कि वक्त दुर्घटना उसका बच्चा कक्षा सात में पढ़ता था जिस स्कूल की बस थी उसी स्कूल में वह पढ़ाई करता था तथा इसी बस से स्कूल आता जाता था।

31. उक्त विवाद्यक के निर्धारण हेतु सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि वक्त दुर्घटना मृतक की आयु कितनी थी और उसकी आय क्या थी? जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है तो इस संबंध में क्लेम याचिका में मृतक प्रणय की आयु 13 वर्ष अंकित की गई है एवं दौराने साक्ष्य ए.डब्ल्यू–1 रामनिवास ने अपने पुत्र की आयु दुर्घटना के समय 12 वर्ष होना कथन किया

है। हालांकि प्रार्थीगण की ओर से मृतक प्रणय की जन्म दिनांक अथवा आयु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु मृतक प्रणय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–3 को प्रार्थीगण की ओर से प्रदर्शित करवाया गया है जिसमें मृतक की आयु 13 वर्ष अंकित की गयी है। इस अनुसार दुर्घटना दिनांक 16.03.2019 को मृतक की आयु 13 वर्ष निर्धारित की जाती है।

32. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, यह स्वीकृत स्थिति है कि दुर्घटना के समय मृतक मात्र 13 वर्ष का बालक होकर अध्ययनरत था जिससे उसकी कोई आय होना सम्भव नहीं है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी ने यह आपत्ति ली कि मृतक विद्यार्थी था जिससे वह कोई आय अर्जित नहीं करता था जबकि उक्त आपत्ति का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने तर्क दिया कि नाबालिग बच्चों के संबंध में न्यायिक निर्णय 2022(2) DNJ (Raj.) 793 Mamta (Smt.) & Anr. v Mahendra Singh & ors. के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 45,000/– रूपये वार्षिक आय नोशनल रूप से निर्धारित की गई है। अतः उक्त नोशनल आय को मानते हुए प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्को पर गौर किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2022(2) DNJ (Raj.) 793 Mamta (Smt.) & Anr. v Mahendra Singh & ors. तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्णित कृष्णगोपाल बनाम लाला में प्रतिपादित सिद्धांतों का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Looking to decrease of value of a rupee, notional income can be assessed at 45,000/- p.a." उक्त माननीय न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में मृतक की नोशनल आय 45,000/–रूपये वार्षिक माना जाना न्यायसंगत व विधि अनुरूप प्रतीत होती है।

33. इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत में मृतक द्वारा काल्पनिक अर्जन रूपये 45,000/–रूपये अवधारित किया जाकर मृतक की आयु के अनुसार 15 का गुणक प्रयुक्त किया जाकर आश्रिता की क्षति रूपये 6,75,000/– रूपये एवं माता–पिता प्रत्येक 44,000/– रुपये – 44,000/– रुपये सहचर्य की हानि हेतु प्राप्त करने के हकदार तथा दाह संस्कार के खर्च के अन्तर्गत 16,500/– रुपये इस प्रकार कुल प्रतिकर 7,79,500/–रूपये निर्धारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मृतक प्रणय जो कि 13 वर्ष की आयु का होकर विद्यार्थी होना प्रकट

हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में मृतक की काल्पनिक आय 45,000/–रूपये वार्षिक अवधारित की जाकर मृतक की आयु के अनुसार 15 का गुणक प्रयुक्त किया जाकर आश्रिता की क्षति रूपये 6,75,000/–रूपये एवं माता–पिता प्रत्येक 44,000/– रुपये – 44,000/– रुपये सहचर्य की हानि हेतु प्राप्त करने के हकदार तथा दाह संस्कार के खर्च के अन्तर्गत 16,500/– रुपये इस प्रकार कुल प्रतिकर 7,79,500/–रूपये प्रार्थीगण को विपक्षीगण से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

34. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–4 (अनुतोष) :–</u>

35. विवाद्यक संख्या–3 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में **कुल 7,79,500/– रुपये** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः तद्नुसार पंचाट पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>पंचाट</u>

36. परिणामतः प्रार्थीगण रामनिवास एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166, 140 मोटर वाहन अधिनियम विपक्षी संख्या एक लगायत तीन के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या एक लगायत तीन से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से **कुल 7,79,500/– रुपये (अक्षरे सात लाख उन्यासी हजार पांच सौ रुपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पूर्व में यदि दोषरहित दायित्व के अधीन राशि अदा की गई है तो वह राशि प्रतिकर राशि में समायोजित होगी एवं शेष राशि पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 23.05.2019 से वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करेगें।

37. पूर्व में प्रार्थीगण ने 50,000/– रुपये अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर ली है, अतः उक्त अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि उक्त अंतिम पंचाट राशि में समायोजित की जाकर अब प्रार्थीगण शेष राशि **7,29,500/–रुपये (अक्षरे सात लाख उन्तीस हजार पांच सौ रुपये)** प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

38. विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी को यह आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति की राशि का चैक जमा करावें तथा विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी उक्त प्रतिकर की राशि विपक्षी संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक्–पृथक् रूप से वसूल करने की अधिकारी होगी।

39. प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :–

क्र. सं.	नाम	मृतक से संबंध	बचत खाते में देय राशि (रूपयों में)	सावधि जमा खाते में देय राशि (रूपयों में)
1.	रामनिवास	पिता	1,50,000 / –रूपये	1,29,500 / – एक वर्ष के लिये
2.	श्रीमती डिम्पल	माता	1,50,000 / – तथा सम्पूर्ण ब्याज	1,00,000 / – एक वर्ष के लिये
3.	सुश्री प्राची	बहन	–	1,00,000 / – एक वर्ष के लिये
4.	श्रीमती लीलादेवी	दादी	–	1,00,000 / – एक वर्ष के लिये

40. प्रार्थीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अन्तराल से ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओं में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित व अन्तरित व प्रभारित नहीं किया जायेगा।

41. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, के ***एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य*** में जारी निम्न दिशा निर्देशो की पालना में :–

1. प्रार्थीगण अपनी पास बुक की प्रति जिसमें बैंक खाते का विवरण हो एवं स्वयं का फोटो बैंक द्वारा सत्यापित हो, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थीगण आयकर कटौती हेतु अपने पेन कार्ड की प्रति विपक्षी संख्या तीन बीमा कंपनी को सूचित करते हुये अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।
3. पंचाट की पालना में विपक्षी संख्या तीन बीमा कंपनी इस अधिकरण **(न्यायाधीश, मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्युनल, नाथद्वारा)** के बैंक,

एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा नाथद्वारा में स्थित बचत खाता संख्या 50100278587671 (IFSC Code HDFC0004256) में NEFT या RTGS से एक माह में जमा करावे एवं विहित प्रारूप में उसकी सूचना 15 दिवस में अधिकरण में उपलब्ध करावे। साथ ही जमा करवाने की सूचना की एक प्रति प्रार्थी को भी देवे। साथ ही यदि कोई आयकर कटौती की जाती है तो आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र भी अधिकरण के समक्ष प्रार्थीगण को सूचित कर जमा करावे।

42. विपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी उक्त क्षतिपूर्ति की राशि वाहन चालक/वाहन मालिक से पुनः वसूल करने की अधिकारी होगी।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)

43. निर्णय व पंचाट आज दिनांक **28.03.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं न्यायालय मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)